

28-5-2025

वकील पक्षकारान उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। चूंकि मूल अपील आज निर्णित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में, यह स्थगन प्रार्थना पत्र अब प्रभावहीन होने से इसी स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 81 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध अप्रार्थीगण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

  
अति. जिला कलेक्टर, सिराही